एफ.सं.ए-12018/10/2015-ईपीआई

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 24 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने हेतु, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने हेतु प्रस्तावित निम्नलिखित प्रारूप भर्ती नियमों को इनके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप भर्ती नियमों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा।

2. उक्त भर्ती नियमों के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. यदि कोई आपत्तियां और सुझाव दिए जाने हों, तो उन्हें उप निदेशक (ईपीआई), कमरा नं.742-ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 के पते पर भेजा जाए और epidghs@gmail.com पर सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाए।

(आर. एस. नौटियाल)

उप निदेशक

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (1) में प्रकाशनार्थ]

(भारत सरकार)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2019

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वर्ष 1981 में यथासंशोधित केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली (श्रेणी ।।। और IV पद) भर्ती नियम, 1965 को, जहां तक उनका संबंध कार्यालय अधीक्षक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में कार्यालय अधीक्षक, समूह 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्यालय अधीक्षक, समूह 'ख' (अराजपत्रित पद), भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

(□) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

(□) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यालय अधीक्षक	12* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400)	चयन	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोन्नति: संस्थान में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 4 में 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिकों में से प्रोन्नति । प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय/राज्य सरकार विभाग के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक या समकक्ष श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे: 1. निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - **अध्यक्ष** 2. सहायक निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - **सदस्य** 3. प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली - **सदस्य** 4. कमांडिंग ऑफिसर, सैन्य अस्पताल, कसौली अथवा प्राधिकृत अधिकारी - **सदस्य**	लागू नहीं होता ।

[फाइल सं. ए.12018/10/2015-ईपीआई]

(जी. के. पिल्लई)
अवर सचिव, भारत सरकार